सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– 304
25/03/2026

निजी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों का नामांकन होगा सुनिश्चित: शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न

RTE 2009 के तहत निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष पहल, SOP तैयार करने के लिए समिति गठित

दिव्यांग बच्चों के शिक्षा अधिकार पर मंथन: अपर मुख्य सचिव (शिक्षा) और सचिव (समाज कल्याण) ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

पटना, 25 मार्च 2026 :— डॉ बी० राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग एवं श्रीमती बन्दनाप्रेयषी, सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में राज्य के निजी विद्यालयों में दिव्यांगबच्चों के नामांकन सुनिश्चित किये जाने हेतु गहनतापूर्वक विमर्श किया गया । इस अवसर पर श्री योगेश कुमार सागर, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, श्री विक्रम विरकर, निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे ।

बैठक के क्रम में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अध्याय-4 की कंडिका (ख) एवं (ग) में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में दिव्यांगबच्चों के नामांकन की समीक्षा की गयी तथा इस क्रम में निर्णय लिया गया कि निहित प्रावधान के अंतर्गत दिव्यांगबच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु विशेष पहल किये जाने की आवश्यकता है । इस क्रम में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के निजी विद्यालयों में दिव्यांगबच्चों के नामांकन सुनिश्चित करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों पर सुझाव देने हेतु निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) तैयार करने का निदेश दिया गया । इसके साथ-साथ निजी विद्यालय संघ प्रतिनिधियों के साथ भी इस विषय पर चर्चा हेतु अविलम्ब बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया ।

इससे पूर्व श्रीमती बन्दनाप्रेयषी, सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्यदिव्यांगबच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने में आ रही चुनौतियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी तथा उनके द्वारा ऐसे बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अध्याय-4 की कंडिका (ख) एवं (ग) में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में निजी विद्यालयों में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के नामांकन एवं पठन-पाठन हेतु विभिन्न सुझाव भी दिये गये । इसी क्रम में उन्होने कहा कि दिव्यांगबच्चों को बेहतर शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा यथासंभव सहयोग प्रदान किया जायेगा ।